मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ४ सन् २०१६

मध्यप्रदेश वृत्तिकर (संशोधन) विधेयक, २०१६.

मध्यप्रदेश वृत्तिकर अधिनियम, १९९५ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वृत्तिकर (संशोधन) अधिनियम, २०१६ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ८ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश वृत्तिकर अधिनियम, १९९५ (क्रमांक १६ सन् १९९५) की धारा ८ में, उपधारा (३) में, शब्द ''साठ दिन के भीतर'' के स्थान पर शब्द ''एक कार्य दिवस के भीतर'' स्थापित किए जाएं.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विधान सभा में वर्ष २०१६-१७ के लिए बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री द्वारा दिए गए भाषण के भाग-२ में अंतर्विष्ट कर प्रस्तावों को क्रियान्वित करने हेतु, मध्यप्रदेश वृत्तिकर अधिनियम, १९९५ (क्रमांक १६ सन् १९९५) में आवश्यक संशोधन किया जाना है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख १६ मार्च, २०१६.

जयंत मलैया

भारसाधक सदस्य.

''संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.''.

भगवानदेव ईसरानी

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश वृत्तिकर अधिनियम, १९९५ (क्रमांक १६ सन् १९९५) से उद्धरण.

*   *   *   *   *

धारा ८ :

(१) *   *   *

(२) *   *   *

(३) उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक नियोजक या व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन कर चुकाने के लिए उसके दायित्वाधीन हो जाने के तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के लिए वृत्तिकर निर्धारण प्राधिकारी को विहित प्ररुप में आवेदन करेगा और वह प्राधिकारी ऐसी जांच के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे, आवेदन प्राप्त होने के साठ दिन के भीतर, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र मंजूर करेगा, यदि वह आवेदन नियमानुकूल है.

*   *   *   *   *

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.